बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग।

सं0सं0-02/एम0एम0-(बा0)-11/17-.....2094............./एम0, पटना, दिनांक-15.5.18

प्रेषक,

असंगबा चुबा आओ, भा0प्र0से0,
विशेष सचिव-सह-निदेशक।

ई-मेल/फैक्स

सेवा में,

सभी उप निदेशक,
सभी सहायक निदेशक,
सभी खनिज विकास पदाधिकारी,
सभी खान निरीक्षक

विषयः- बालूघाटों, पत्थर खनन पट्टों, ईंट भट्ठों, खनिज लदे वाहनों तथा पत्थर भण्डारण अनुज्ञप्ति (क्रशर) के Online Reporting System for Inspection के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि मासिक समीक्षा से स्पष्ट होता है कि जिलान्तर्गत बालूघाटों, पत्थर खनन पट्टों, ईंट भट्ठों, खनिज लदे वाहनों तथा पत्थर भण्डारण अनुज्ञप्ति (क्रशर) बालूघाटों का समुचित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। एतद् क्रम में नियमों की अवहेलना से अवैध कार्यों को बढ़ावा मिलने, पर्यावरण को क्षति पहुँचने के साथ-साथ सरकार को राजस्व क्षति भी हो रही है। पूर्व में भी इस संबंध में विस्तृत निदेश आपको संसूचित किया गया है।

अतः निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट के होम पेज से Log-in करके बालूघाटों, पत्थर खनन पट्टों, ईंट भट्ठों, खनिज लदे वाहनों तथा पत्थर भण्डारण अनुज्ञप्ति (क्रशर) के निरीक्षण से संबंधित विहित प्रपत्र को नियमित रूप से Online भरते हुए अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

~~अनुलग्नकः- यथोक्त~~।

357
15/5/18

विश्वासभाजन

15/5/18

विशेष सचिव-सह-निदेशक

D/sanjay/Alokji/Sand Draft